

शाहजहाँपुर पुलिस



प्रेस नोट -दिनांक 19.10.2024

थाना निगोही पर पंजीकृत आबकारी अधिनियम के अभियोगो के माल का विनिष्टिकरण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर महोदय के आदेशानुसार जनपद में माल निस्तारण के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन क्लीन के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 19/10/2024 को अरविन्द सिंह चौहान प्रभारी निरीक्षक थाना निगोही व आबकारी विभाग के अधिकारियों की उपस्थित में मालगृह में रखे वर्ष 2023 वर्ष 2024 के आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित मालों का थाना हाजा के पीछे गड्ढा खोदकर नियमानुसार विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गयी तथा समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी करायी गयी।

आज दिनांक 19.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक निगोही अरविन्द सिंह चौहान व आबकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थित में मालगृह में वर्ष 2023 व वर्ष 2024 के आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित माल जो माननीय न्यायालय न्यायिक मिजरुट्रेट एसीजेएम द्वितीय शाहजहाँपुर के आदेश के क्रम में निस्तारित हो चुके है समस्त मालो को अन्दर मालगृह से निकालकर थाने के पीछे थाना परिसर में गढ्ढा खुदवाकर निस्तारित समस्त मालो को गढ्ढे में डलवाकर विनिष्टीकरण कराया गया एवं समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी करायी गयी।

कुल निस्तारित अभियोगो की संख्या 🗕

कुल अभियोग – 195

कुल नष्ट की गयी शराब -

कुल नष्ट कच्ची शराब – 3250 लीटर कुल नष्ट देशी शराब - 08 लीटर (मसालेदार एवन ब्रान्ड फ्रूटी)